तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
1-9-17	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक...4-9-17...को पेश हों।
4-9-17	पत्रावली पेश हुई आदेश सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजस्व पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, बून्दी

पीठासीन अधिकारी

प्रार्थना पत्र सं. 71/08

दायरा दिनांक 27/10/08

उनवान

1. चतरभुज आयु 65 वर्ष पुत्र श्री कंवरिया जाति मीणा निवासी ग्राम पापड़ी
2. रामप्रसाद आयु 45 वर्ष पुत्र श्री नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी पापड़ी
3. राधेश्याम आयु 40 वर्ष पुत्र श्री नन्द किशोर जाति मीणा निवासी पापड़ी
4. कुमारी पूजा आयु 10 वर्ष पुत्री श्री बाबूलाल नाबालिग जर्ये वली माता सम्मा बाई पत्नी श्री बाबूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम पापड़ी
5. राकेश आयु 8 वर्ष पुत्र श्री बाबूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम पापड़ी नाबालिग जर्ये वली माता सम्मा बाई पत्नी श्री बाबूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम पापड़ी
6. सम्मा बाई आयु 32 वर्ष बेवा श्री बाबूलाल जाति मीणा निवासी पापड़ी
7. भूरी आयु 65 वर्ष बेवा श्री नन्द किशोर जाति मीणा निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

-प्रार्थीगण

बनाम

1. लड्डूर आयु 35 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री किशना जाति मीणा निवासी पापड़ी
2. राजू आयु 22 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री किशना जाति मीणा निवासी पापड़ी
3. सौरू आयु 18 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री किशना जाति मीणा निवासी पापड़ी
4. मनभर आयु 55 वर्ष बेवा श्री किशना जाति मीणा निवासी पापड़ी
5. प्रेमा बाई पत्नी श्री रामगोपाल जाति मीणा पुत्र स्वर्गीय श्री किशना जाति मीणा निवासी रामगंज की झौंपड़ियां तहसील इन्द्रगढ़
6. संतोष पत्नी श्री मोहन पुत्री स्वर्गीय श्री किशना जाति मीणा निवासी नयागांव तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
7. ममता पत्नी श्री रमेश पुत्री स्वर्गीय श्री किशना जाति मीणा निवासी नया गांव तहसील इन्द्रगढ़
8. सब रजिस्ट्रार, तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः......

9. तहसीलदार, तहसील इन्द्रगढ़
10. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, बून्दी

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 212

निर्णय

दिनांक 4.9.17

प्रार्थना पत्र धारा 212 अन्तर्गत राज. काश्तकारी अधिनियम
जरिये अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्य
संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ में जमाबंदी
सम्वत् 2064-2067 ख. सं. 262 रकबा 0.02 है, ख सं. 802 रकबा 0.98
है. ख सं. 846 रकबा 1.40 है ख सं. 849 रकबा 1.95 है, ख सं. 850 रकबा
0.69 है, ख.स. 851 रकबा 0.45 है. कुल किता-6 कुल रकबा 5.49 है. आराजी
में खातेदारी में 1/3 हिस्सा वादी सं. 1 तथा 1/3 हिस्सा वादी सं. 1 के सगे भाई
स्वर्गीय श्री नन्दकिशोर के वारिसान वादी सं. 2 लगा 7 का दर्ज है व 1/3 हिस्सा
प्रतिवादीगण 1 लगा 7 मृतक श्री किशना के वारिसान के नाम दर्ज है।
आराजी पैतृक है। इसी प्रकार ग्राम पापड़ी जमाबंदी सम्वत 2064-67 के ख.सं.
853 रकबा 3.65 है, ख.सं. 864 रकबा 0.16 है, ख सं. 865 रकबा 0.03 है
कुल किता 3 कुल रकबा 3.84 है अप्रार्थीगण 1 लगा 7 के खातेदारी में दर्ज है
यह भी बाप-दादाओं की आराजी है। इसी प्रकार ग्राम खरायता में नयी जमाबंदी
सम्वत 2062-65 में खसरा सं. 686 रकबा 2.31 है जो अप्रार्थी 1 लगा 7 के खातेदारी
में अंकित है यह भी बाप-दादाओं के समय की है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 लगा 7
एक ही कुनबे परिवार के सदस्य हैं। मूल पुरुष गोमदा के दो पुत्र गणेश व कंवरिया
हुये। प्रार्थीगण कंवरिया के वारिसान है। गणेश के एक पुत्र किशना हुआ। अप्रार्थीगण
किशना के वारिसान है। उक्त आराजीयात में पक्षकारान का समान हित है किन्तु
जमाबंदी में अकेले प्रतिवादीगण 1 लगा 7 का ही नाम दर्ज है।
70 वर्ष पूर्व गोमदा के जीवनकाल में ही गणेश व कंवरिया के बीच
जुबानी सेटलमेंट हो गया जिससे बाद वर्णित आराजी जिसके पुराने ख.नं. 184, 440, 441,
463 कुल किता 4 कुल रकबा 35 बीघा 15 बिस्वा अकेले कंवरिया के हिस्से आई थी
उक्त पर कंवरिया व कंवरिया की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण काबिज है। उक्त फेमेली सेटलमेंट
22.8.1996 को जुबानी बंटवारे को लिखित रूप दिया व एक स्मृति पत्र लिखा। अतः
कंवरिया के वारिसान प्रार्थी चतुर्भुज का आधा हिस्सा व नन्दकिशोर के वारिसान का
आधा हिस्सा संयुक्त रूप से घोषित करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण का नाम
जमाबंदी से हटवाने व इसकी घोषणा होना आवश्यक है। अप्रार्थीगण 1 लगा 7 का हिस्सा
1/3 दर्ज होने से अप्रार्थीगण धमकी देकर बेचने बाबत कहकर, गलत इन्द्राज का लाभ उठाने

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

-क्रमशः....

Scanned by CamScanner

से प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक है कि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। अतः दौराने वाद अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करमाया जावे कि वे आराजी खसरा सं. 262, 802, 846, 849, 850, 851 वाके ग्राम पापड़ी को खुर्द-बुर्द नही करे, न किसी अन्य को स्थानान्तरण, रहन बय व अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नही करे व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे दस्तअन्दाजी नही ही करे व न ही अन्य से करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। नियत दिनांक पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मूल पुरूष गोकुल के दो पुत्र कंवरिया व गणेश हुए प्रार्थीगण कंवरिया के वारिसान है। प्रा. पत्र की चरण सं 2 में वर्णित आराजी में अप्रार्थीगण का ½ हिस्सा आया हिस्सा नन्द किशोर के वारिसान का बनता है। इस बाबत पारिवारिक बंटवारा पूर्व में हो चुका है। प्रार्थीगण 70 वर्ष से काश्त करते आ रहे हैं। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के चरण सं 3, 4, 5 के तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि दिनांक 22.08.96 को किशनलाल व चतुर्भुज के मध्य सहमति पत्र भी लिखा जा चुका है। हमने हमारे कब्जे के सबूत के रूप में सेटलमेंट की पर्ची रसीद में भी गणेश व कंवरा पि गोकुल दर्ज है। अतः हमारी कब्जे की भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरन बेचान की धमकी दी गयी है। अतः दौराने वाद अप्रार्थीगण द्वारा वाद वर्णित आराजों को खुर्द-बुर्द करने से रोका जाना आवश्यक है अतः वाद के निर्णय तक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने पक्ष में न्यायिक दृष्टांत — AIR 1982 Raj - Page 183, 2008(1) DNJ Page 221, 1994 RRD Page 408, 1993 RRD Page 700, 2010 DNJ Page 208; 2011(1) DNJ Page 382 पेश किये।

जवाब बहस अप्रार्थीगण जर्ये अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि 70 वर्ष पूर्व मौखिक कह रहे है व 1996 का लिखित बता रहे है, कहते हुए हमले असल तहरीर पेश कि। हमारे पृथक से खाते लगी भूमि का सेटलमेंट का पर्चा है जिसमे लाल स्याही से नोट लगा हुआ है। Tenancy act सम्वत् 2012 में अस्तित्व में आया। हमारा नाम इससे पूर्व से है यदि ये गलत था तो एक वर्ष में challenge किया जा सकता था। वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2009(2) RRT

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः...

Scanned by CamScanner

पेज 1327, 2013 (2) RRT पेज 1108 पेश कर कथन किया कि एक खातेदार है। खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जा सकती है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्यों को दोहराकर प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना व पेश किये गये न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। न्यायालय का आदेश निम्नानुसार

प्रथम दृष्टया मामला! - विवादित आराजी की मुताबिक जमाबंदी संवत् 2064-67 के खाता सं. 145 के खसरा सं. 262, 802, 846, 849, 850, 851 कुल रकबा 5.49 है. में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 2 लगा 7 का नाम दर्ज है अतः चूंकि पूर्णतया प्रार्थीगण की खातेदारी में नहीं है प्रार्थीगण मौजूद है अतः चूंकि पूर्णतया प्रार्थीगण की खातेदारी का 1/3 हिस्सा दर्ज है। अप्रार्थीगण का हिस्सा 1/3 व नन्दकिशोर के वारिसान का 1/3 हिस्सा दर्ज है। अतः विवादित आराजी पर किशना के वारिसान का हिस्सा 1/3 दर्ज है। अतः विवादित आराजी पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पूर्णतः न होकर अंशतः ही पक्ष में है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पूर्णतः साबित नहीं हुआ है।

अपूर्णीय क्षति - चूंकि प्रथम दृष्टया मामला पूर्णतः साबित नहीं हुआ है। अतः चूंकि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा खुर्द-बुर्द व बैचान करने की आशंका व्यक्त कि गयी है अतः राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथास्थिति बनाये रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सुविधा का संतुलन - उक्त विवेचन के आधार पर अंशतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को आराजी ख.सं. 262, 802, 846, 849, 850, 851 वाके माल पापड़ी की वाद के निर्णय तक रहन, बैय व अन्तरण नहीं करे दोनो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति हेतु पाबंद किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner